इसे वेबसाईट mpmsme.gov.in
से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल; दिनांक 24/10/2019

क्रमांक एफ 02-12/2016/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार "मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति, 2019" अनुमोदित की जाती है।

2/ भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर और जबलपुर में स्टेट ऑफ आर्ट इन्क्यूबेटर की स्थापना की जावेगी।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार

(पर्वत सिंह)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 02-12/2016/अ-तेहत्तर भोपाल, दिनांक 24/10/2019

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. अपर मुख्यं सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ...(समस्त विभाग)
4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
7. संभागायुक्त.....(समस्त)।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल।

9. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019" तथा "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2019" की हिन्दी की हस्ताक्षरित प्रति सहित संलग्न कर निवेदन है कि कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

10. कलेक्टर.....(समस्त)।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति 2019

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

विषय - सूची

I. **विजन** 2

II. **लक्ष्य** 3

III. **प्रभावशीलता** 3

IV. **रणनीतियाँ** 4

1. स्टार्टअप संवर्धन 4
2. इंक्यूबेटर संवर्धन 5
3. पारिस्थितिकी तंत्र सक्षमता 6

V. **प्रोत्साहन** 7

1. इंक्यूबेटर को प्रोत्साहन 7
2. स्टार्टअप/उद्यमियों को प्रोत्साहन 9
3. स्टार्टअप्स के वित्त पोषण के लिए प्रावधान 11

VI. **नीति का क्रियान्वयन** 12

1. राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति 12
2. राज्य स्तरीय निगरानी समिति 13
3. राज्य स्तरीय निगरानी समिति का चार्टर 14
4. जिला टास्क फोर्स समिति 14

VII. **परिभाषाएं** 15

1. स्टार्टअप 15
2. इंक्यूबेटर 15
3. पार्टनर इंक्यूबेटर 16
4. प्रोद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर 16
5. मेजबान संस्था 16

I. विज़न

राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति का समर्थन करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करके स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में मध्य प्रदेश की स्थापना करना।

MSME
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

II. लक्ष्य

अ) मुख्य लक्ष्य :

(i) DPIIT में पंजीकृत स्टार्टअप में 100% वृद्धि दर दर्ज करना

(ii) पूरे मध्य प्रदेश में मेजबान संस्थानों में उपलब्ध अधोसंरचना का दोहन करके इंक्यूबेटरों का निर्माण करना और इंक्यूबेटर में वर्तमान सीट की उपलब्धता को 100% तक बढ़ाना

ब) इंक्यूबेटर स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय/कॉर्पोरेट से भागीदारी हेतु प्रयास

स) वित्त पोषण के लिये आसान पहुंच

III. प्रभावशीलता

यह नीति 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी। यह नीति, नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने तक जारी रहेगी।

MSME
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

IV. रणनीतियाँ

1. स्टार्टअप संवर्धन

राज्य सरकार, स्थानीय उद्यमियों और स्थानीय स्टार्टअप को सक्षम बनाने के लिए;

अ. स्व-रोजगार योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आदि के तहत राज्य सहायता के लिए स्टार्टअप/उद्यमियों पर विचार करेंगी

ब. प्री-सीड/सीड वित्त पोषण/सहायता, अनुदान या ऋण के लिए आसान पहुँच प्रदान करेंगी।

स. भण्डार क्रय नियमों में उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से स्टार्टअप्स से सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देगी, जैसे कि टर्नओवर, कार्यानभव में छूट देना ।

द. वार्षिक म.प्र. *हैकथॉन* मेजबानी : एमएसएमई विभाग वास्तविक जीवन की सामाजिक चुनौतियों के लिए नवीन तकनीकी समाधानों की पहचान करने हेतु वार्षिक *हैकथॉन* का आयोजन करेगा ।

ई. एक एंजेल नेटवर्क का विकास : एमएसएमई विभाग भागीदार इंक्यूबेटरों के माध्यम से म.प्र. के सभी स्टार्टअप के लिए एंजेल इन्वेस्टर समागम आयोजित करेगा। स्टार्टअप के लाभ के लिए एंजेल नेटवर्क और उनके सदस्यों को एमएसएमई विभाग के पोर्टल में सूचीबद्ध किया जाएगा।

2. इंक्यूबेटर संवर्धन

राज्य सरकार -

अ) निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों में मेजबान संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटरों की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगी :

(i) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) / इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)/ ई-कॉमर्स/ मोबाइल प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी (IT)/ आईटी सक्षम सेवाएं (ITeS)/ बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन (BPM)/ सॉफ्टवेयर विकास

(ii) विनिर्माण सहित इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम विकास और रखरखाव (ESDM)/ रोबोटिक्स/ 3-D प्रिंटिंग/ प्लास्टिक/ तकनीकी टेक्सटाईल्स

(iii) जैव प्रौद्योगिकी, जैव रासायनिक, स्वास्थ्य देखभाल, औषधि और चिकित्सा उपकरण

(iv) कृषि-प्रसंस्करण, कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण

(v) नवीकरणीय ऊर्जा/हरित ऊर्जा/ स्वच्छ प्रौद्योगिकी/ जल और अपशिष्ट पुनर्चक्रण

(vi) शिक्षा, सामाजिक, ग्रामीण और जनजातीय उद्यमिता

ब) मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में दो विश्व स्तर के इन्क्यूबेटरों को स्थापित करेगी। संस्थानों को चुनौती मोड के माध्यम से चुना जाएगा।

स) पार्टनर इन्क्यूबेटरों का एक नेटवर्क तैयार करेंगी।

MSME
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

3. पारिस्थितिकी तंत्र सक्षमता

अ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन ने इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश को नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया है और वह राज्य में पारिस्थितिकी तंत्र सक्षमता के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी।

ब) ऑनलाइन पोर्टल : नोडल एजेंसी शुरू से अंत तक के प्रबंधन के लिए एक मजबूत ऑनलाइन प्रणाली को डिजाइन, विकसित और क्रियान्वित करेगी।

स) मेण्टर नेटवर्क : नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश में मेंटर नेटवर्क विकसित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए अनुभवी मेण्टरों को प्रोत्साहित करेगी।

द) उद्यमिता विकास के लिए कॉर्पोरेट(ओं) और शिक्षाविदों के साथ भागीदारी :

(i) राज्य सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ (EDC) स्थापित करने और ऐसे प्रकोष्ठ को स्टार्टअप पोर्टल पर पंजीकरण करने की सलाह देगी।

(ii) एमएसएमई विभाग अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों से क्षेत्र विशेष के लिये भागीदारी हेतु संपर्क करेगा।

(iii) अन्य विभाग जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग भी राज्य में स्टार्टअप्स को सक्षम करने के लिए अपनी क्षेत्र विशेष के लिये नीतियों/ योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं।

ई) स्वतंत्र एजेंसी : नोडल एजेंसी राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के सर्मथन के लिये एक पृथक, समर्पित और स्वतंत्र क्रियान्वयन एजेंसी/निकाय बनाएगी या मौजूदा एजेंसी/निकाय को नामांकित करेंगी।

फ) मध्य प्रदेश सरकार महिला और आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देगी और उन पर अतिरिक्त ध्यान देगी। वह अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के स्टार्ट-अप्स के लिये भी समग्रता सुनिश्चित करेगी।

V. प्रोत्साहन

अ) 'म.प्र. स्टार्टअप योजना 2020' के दिशानिर्देश के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसे एमएसएमई विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा।

ब) स्टार्टअप्स एवं इंक्यूबेटर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की विभिन्न नीतियों/ योजनाओं के तहत अन्य प्रोत्साहनों (यदि पात्र हों, तो) के लिए हकदार होंगे, हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार की अन्य नीतियों/योजनाओं से समान प्रकार के प्रोत्साहन का दावा नहीं किया जा सकेंगा।

1. इंक्यूबेटर को प्रोत्साहन

अ) पात्रता :

(i) नए इंक्यूबेटर स्थापित करने का इरादा करने वाला मेजबान संस्थान।

(ii) मौजूदा भागीदार इंक्यूबेटर ।

(iii) प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इंक्यूबेटरों को न्यूनतम दस सीटों की क्षमता विकसित करना आवश्यक होगा।

MSME GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

ब) पूंजी अनुदान :

(i) इंक्यूबेटर की स्थापना में किये गये स्थायी पूंजी निवेश (भूमि एवं भवन को छोड़कर) का अधिकतम 50% या 1 करोड़ रूपये (जो भी कम हो) का एक बार पूंजी अनुदान।

(ii) राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों (TBI) की स्थापना के लिए अग्रिम टॉप-अप अनुदान प्रदान करेगी, जो अधिकतम 50 लाख रूपये तक सीमित होगा, परंतु प्राप्त कुल सहायता कुल परियोजना लागत के 50% से अधिक नहीं होगी।

(iii) राज्य सरकार मध्यप्रदेश के जनजातीय जिलों में स्थापित लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स (LBI) की स्थापना के लिए अधिकतम 100 लाख रूपये अग्रिम अनुदान प्रदान करेगी, परंतु प्राप्त कुल सहायता कुल परियोजना लागत के 100% से अधिक नहीं होगी।

(iv) इन्क्यूबेटरों द्वारा विद्यमान सुविधा, 1 वर्ष पूर्ण उपयोग करने के अधीन, में विस्तार के लिए उक्त सीमा को विस्तारित किया जाएगा।

स) संचालन सहायता :

स्वीकृति दिनांक से 3 साल के लिए संचालन में हुआ वास्तविक व्यय या 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष (जो भी कम हो)। इसमें मेण्टरिंग, परिचालन लागत, आयोजन और प्रतियोगिताओं पर खर्च शामिल हैं। यह निम्नलिखित आधार पर दिया जाएगा :

क्र.	उपयोग की गई सीट क्षमता	अधिकतम भत्ता
1.	30% - 50%	अधिकतम 5 लाख रू.
2.	50% - 75%	अधिकतम 7.5 लाख रू.
3.	75% - 100%	अधिकतम 10 लाख रू.

द) स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण

इंक्यूबेटरों को उनका संचालन प्रारंभ होने पर भूमि/कार्यस्थल के क्रय/पट्टे पर एक बार 100% स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2. स्टार्टअप / उद्यमियों को प्रोत्साहन

अ) पात्रता :

इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, स्टार्टअप को निम्नलिखित सभी शर्तों का पालन करना होगा :

(i) DPIIT से मान्यता रखना ,
(ii) म.प्र. आधारित जीएसटी पंजीयन रखना

ब) निर्वाह भत्ता : साथी इंक्यूबेटर से जुड़ने के 3 महीने बाद 1 वर्ष की अवधि के लिए या स्टार्ट-अप के पोस्ट-ट्रैक्शन अवधि तक पहुंचने पर (जो भी कम हो), 10,000 रूपये प्रति माह, निर्वाह भत्ता के रूप में जारी किया जाएगा।

स) लीज़ किराया अनुदान : अनुशंसा की दिनांक से 3 वर्ष के लिये 50% या अधिकतम 3 लाख रूपये (जो भी कम हो) प्रति वर्ष की प्रतिपूर्ति ।

महिलाओं के स्वामित्व वाली स्टार्टअप्स के लिए, अनुशंसा की दिनांक से 3 वर्ष के लिये 50% या अधिकतम 3.5 लाख रूपये (जो भी कम हो) प्रति वर्ष की प्रतिपूर्ति । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले स्टार्ट-अप के लिए उक्त लाभ विस्तारित किया जाएगा।

इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा स्टार्ट-अप की अनुशंसा आवश्यक होगी।

द) मार्जिन मनी / ब्याज अनुदान : परियोजना के पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा -

1) मार्जिन मनी सहायता: अधिकतम 15%, 12 लाख रूपये तक
2) ब्याज अनुदान : अधिकतम 5% (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाओं के स्वामित्व के स्टार्टअप्स हेतु 6%) 7 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रूपयें की सीमा तक

ई) पेटेंट पंजीयन/गुणवत्ता प्रमाणन : नीति की प्रभावशील अवधि में सफलतापूर्वक पेटेंट/प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए लागत प्रतिपूर्ति

घरेलू पेटेंट : 2 पेटेंट तक अधिकतम 2 लाख रू. प्रति स्टार्टअप

अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट : 1 पेटेंट के लिये अधिकतम 5 लाख रू. प्रति स्टार्टअप

गुणवत्ता प्रमाणीकरण : 2 प्रमाणपत्र तक अधिकतम 3 लाख रू. प्रति स्टार्टअप

केवल मध्य प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप ही इस प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

फ) स्टार्टअप विपणन सहायता : बाजार के लिए एक अभिनव उत्पाद शुरू करने की स्थिति में निम्नलिखित में से किसी भी एक शर्त को पूर्ण करने पर अधिकतम 10 लाख रू. की सहायता :

(i) SEBI द्वारा पंजीकृत AIF श्रेणी I व II फंड से सम्पूर्ण इक्विटी का वित्तपोषण या एंजेल नेटवर्क से कम से कम 25 लाख रूपये स्टार्टअप को मिले हों; या

(ii) निम्न के आधार पर भारत सरकार द्वारा संस्था के लिए वित्त पोषण/अनुदान का स्वीकृति पत्र मिला हों :

क्र.	भारत सरकार से प्राप्त वित्त पोषण/अनुदान	अधिकतम भत्ता
1.	2 लाख रू. तक	अधिकतम 5 लाख रू.
2.	2 लाख रू. से - 4 लाख रू.	अधिकतम 7.5 लाख रू.
3.	4 लाख रू. से अधिक	अधिकतम 10 लाख रू.

(iii) स्टार्टअप को कम से कम पिछले छः महीनों में 5 लाख प्रति माह की राजस्व दर मिली हों।

ज) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित आयोजनों में भागीदारी : नीति की अवधि में एक बार स्टार्टअप के अधिकतम 2 सदस्यों के लिये भागीदारी शुल्क और आवास के लिए 50% तक या 1 लाख रू. की प्रतिपूर्ति (जो भी कम हो)

नीति की अवधि में एक बार अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाओं के स्वामित्व वाले स्टार्टअप के अधिकतम 3 सदस्यों के लिए, 50% तक या 1.5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति (जो भी कम हो)

3. स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए प्रावधान

अ) 'म. प्र. स्टार्टअप ऑफ द ईयर चैलेंज', जिसमें 20 विचारों को सम्मानित किया जाएगा, की मेजबानी के माध्यम से, नवाचारी स्टार्टअप्स को पुरूस्कार राशि के रूप में प्री-सीड सहायता।

ब) नीति की अवधि में स्टार्टअप को सीड सहायता के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाने हेतु राज्य सरकार 10 करोड़ रू. उपलब्ध कराएगी। स्टार्टअप को सीड सहायता के लिए प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण जैसे कंपनी का गठन, आदर्श विकास, प्रुफ ऑफ कॉन्सेप्ट आदि के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।

स) वेंचर वित्त पोषण :

(i) राज्य एक वैकल्पिक फण्ड में 50 करोड़ रू. का निवेश करेगा

(ii) पूर्व में गठित वेचर फंड का उपयोग वेंचर कैपिटल प्रदान करने के लिए किया जाएगा

VI. नीति का क्रियान्वयन

1. राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति

इस नीति के तहत, सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति (SLIC) का गठन किया जाएगा :

क्र.	सदस्य का विवरण	प्राधिकार
1	प्रमुख सचिव , एमएसएमई विभाग	अध्यक्ष
2	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामांकित व्यक्ति	सदस्य
3	प्रबंध संचालक, म.प्र. लठनि द्वारा नामांकित व्यक्ति	सदस्य
4	उद्योग/उद्योग संघ द्वारा नामांकित व्यक्ति	सदस्य
5	इंक्यूबेटर नेटवर्क से अन्य नामांकित व्यक्ति, जो म. प्र. सरकार द्वारा नामित होंगे	सदस्य
6	उद्योग आयुक्त	सदस्य
7	नोडल अधिकारी,एसआई सेल/ उद्योग आयुक्त द्वारा नामांकित व्यक्ति	सदस्य सचिव

प्राप्त प्रकरणों पर विचार करने हेतु प्रत्येक 3 महीने में SLIC बैठक आयोजित करने के लिए सदस्य सचिव जिम्मेदार होंगे। बैठक के लिए कोरम में अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होंगे।

2. राज्य स्तरीय निगरानी समिति

इस नीति के तहत निम्नलिखित सदस्यों वाली एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा :

क्र.	सदस्य का विवरण	प्राधिकार
1	मुख्य सचिव, म.प्र. शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, एमएसएमई विभाग	सदस्य
8	उद्योग आयुक्त	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय निगरानी समिति SLIC के लिए 'अपील समिति' भी होगी, जिसका किसी भी मामले में निर्णय अंतिम होगा।

MSME
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

3. राज्य स्तरीय निगरानी समिति का चार्टर

अ) निगरानी और प्रासंगिक आदेशों/अधिसूचनाओं तथा आवश्यक संशोधन को समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करना

ब) इस नीति की किसी भी मुद्दे की व्याख्या, नीतिगत मामलों के संबंध में अंतर विभागीय समन्वय

स) एमएसएमई विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं, रूपरेखा और क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को मंजूरी देना।

द) 'म. प्र. स्टार्टअप नीति 2019' का समय-समय पर प्रमुख संकेतकों पर मूल्यांकन और सभी स्तरों पर क्रियान्वयन मुद्दों को सुलझाना।

4. जिला टास्क फोर्स समिति

क्र.	सदस्य का विवरण	प्राधिकार
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
3	स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य
4	किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
5	महाप्रबंधक, जिव्याठके, एमएसएमई विभाग	सदस्य सचिव

MSME
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

VII. परिभाषाएं

1. स्टार्टअप

किसी इकाई को 'स्टार्टअप' माना जाएगा -

अ) निगमन/पंजीयन की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक

ब) एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी या एक पंजीकृत भागीदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी में से किसी एक के रूप में निगमित

स) निगमन/पंजीयन के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रू. से अधिक नहीं हों

द) पहले से विद्यमान किसी व्यवसाय को विभाजित या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया गया हों

ई) उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना या यदि वह रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल हों

इसके अलावा, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा विनिश्चित स्टार्टअप की परिभाषा को विचार में लिया जाएगा, जो SLMC के निर्णय पर आधारित होगी।

2. इंक्यूबेटर

स्टार्टअप कंपनियों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन करने के लिए परिकल्पित किया गया एक संगठन जो निम्नानुसार व्यावसायिक समर्थन संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है :

(i) पट्टे पर कार्यक्षेत्र

(ii) ऊपरी लागत को कम करने के लिए साझा समर्थन सेवाओं (व्यापार, कानूनी, वित्तीय, सलाह आदि) का एक पूल

(iii) व्यावसायिक और प्रबंधकीय सहायता

(iv) वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु पहुंच या सहायता।

3. पार्टनर इंक्यूबेटर

मध्य प्रदेश स्थित एक इंक्यूबेटर, जिसने एमएसएमई विभाग के साथ MoU पर हस्ताक्षर किये हों।

4. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (TBI)

टीबीआई विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, स्थानीय शासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम है, जो एक नई प्रौद्योगिकी के प्रखर उद्यम को बढ़ावा और आधार देने के लिए है। टीबीआई इंक्यूबेशन के प्रकार को संदर्भित करता है, जहां फोकस समूह में नवीन, अधिकतर प्रौद्योगिकी-उन्मुख या ज्ञान-गहन सेवा क्षेत्र के उद्यम और शैक्षणिक क्षेत्र के साथ सहभागिता शामिल होती है, जो इंक्यूबेशन प्रक्रिया का एक मूल तत्व प्रदान करती है।

5. मेजबान संस्था

मध्य प्रदेश स्थित कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान/स्मार्ट सिटी कंपनियां और अन्य सोसायटी/विशेष प्रयोजन इकाई (यां)।

MSME
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

नोट :- यह दस्तावेज राज्य शासन द्वारा जारी **'मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2019'** (अंग्रेजी संस्करण) का हिन्दी अनुवाद है।